न्यू कैलेडोनिया जनमत संग्रह

drishtiias.com/hindi/printpdf/new-caledonia-referendum

प्रिलिम्स के लिये:

न्यू कैलेडोनिया, नौमिया समझौता

मेन्स के लिये:

फ्राँसीसी उपनिवेश, प्रशांत महासागर का राजनीतिक शक्ति संतुलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित फ्राँसीसी उपनिवेश 'न्यू कैलेडोनिया' (New Caledonia) में हुए जनमत संग्रह में 53.25% लोगों ने फ्राँस से अलग न होने का समर्थन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- 4 अक्तूबर, 2020 को हुए जनमत संग्रह में कुल 85.6% लोगों ने मतदान किया।
- गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2018 में हुए जनमत संग्रह में 56.4% लोगों ने फ्राँस के साथ बने रहने का समर्थन किया था, जबकि 43.6% लोगों ने फ्राँस से अलग एक स्वतंत्र 'न्यू कैलेडोनिया' के पक्ष में मतदान किया।
- यह जनमत संग्रह वर्ष 1998 में स्थानीय संघर्ष को नियंत्रित करने के लिये किये गए 'नौमिया समझौते' (Noumea Accord) का हिस्सा है।
- गौरतलब है कि इससे पहले फ्राँस के उपनिवेश रहे 'ज़िबूती' (Djibouti) और 'वनुआतू' (Vanuatu) में क्रमशः वर्ष 1977 और वर्ष 1980 में हुए जनमत संग्रह में स्थानीय लोगों ने फ्राँस से अलग होने का समर्थन किया था।

महत्त्व:

- इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय होने के साथ ही न्यू कैलेडोनिया खनिज संसाधनों में भी समृद्ध माना जाता है। एक अनुमान के अनुसार, विश्व में ज्ञात कुल निकल (Nickel) धातु भंडार का लगभग 10%न्यू कैलेडोनिया में मौजूद है।

- निकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसके कारण फ्रॉंस द्वारा इस क्षेत्र को एक रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्त्व की संपत्ति के रूप में देखा जाता है।
- वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच यह द्वीप सामरिक दृष्टि से फ्रॉंस के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

    गौरतलब है कि न्यू कैलेडोनिया के निर्यात (अधिकांशत: निकल धातु) का एक बड़ा हिस्सा चीन को किया जाता है।
- ‘ज़िबूती’ (Djibouti) और ‘वनुआतू’ (Vanuatu) की स्वतंत्रता के बाद फ्रॉंस के लिये वैश्विक परिदृश्य में अपनी सैन्य तथा सामरिक स्थिति को मज़बूत करने के लिये ‘न्यू कैलेडोनिया’ की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई है।

न्यू कैलेडोनिया (New Caledonia):

- वर्ष 1774 में ब्रिटिश खोजकर्त्ता जेम्स कुक (James Cook) ने स्कॉटलैंड के लैटिन नाम ‘कैलेडोनिया’ के आधार पर इस द्वीप को न्यू कैलेडोनिया का नाम दिया।
- वर्ष 1853 में फ्रॉंस के शासक ‘नेपोलियन तृतीय’ (Emperor Napoleon-III) ने ‘न्यू कैलेडोनिया’ को जीत लिया और कई दशकों तक इसका प्रयोग एक जेल कालोनी (Prison Colony) के रूप में किया जाता रहा।

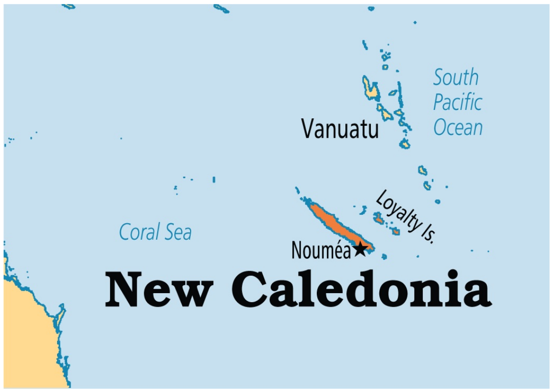

आबादी:

- वर्तमान में इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 2,70,000 है।
- इसमें से स्थानीय मूल के ‘कनक’ (Kanak) लोगों की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 39% है, जबकि यूरोपीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 27% है।

प्रशासन:

- 'न्यू कैलेडोनिया', <u>संयुक्त राष्ट्र संघ</u> के 17 'गैर-स्वशासित क्षेत्रों' (Non-Self Governing Territories) में से एक है, जहाँ अभी तक वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है।
    - संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-XI के तहत 'गैर-स्वशासित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों/प्रांतों के रूप में परिभाषित किया गया है; जहाँ के लोगों को पूर्ण स्व-शासन का अधिकार नहीं प्राप्त है।
    - न्यू कैलेडोनिया के अतिरिक्त इसके तहत ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, बरमूडा, पश्चिमी सहारा आदि को शामिल किया गया है।
- 'न्यू कैलेडोनिया' में शक्ति साझाकरण के सिद्धांत पर बनी एक कार्यपालिका है, जिसका चुनाव क्षेत्र की कॉन्ग्रेस द्वारा किया जाता है। इस कार्यपालिका में कॉन्ग्रेस के सभी दलों को उनकी सीटों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है।
- कार्यपालिका के चुनाव के बाद इसके सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
- 'न्यू कैलेडोनिया' को अधिकांश मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है परंतु रक्षा जैसे मामलों के लिये यह आज भी फ्राँस पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
- फ्राँस के राष्ट्रपति को 'न्यू कैलेडोनिया' के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में माना जाता है।

स्वतंत्रता संघर्ष:

- **'कनक विद्रोह' (Kanak Revolt):** वर्ष 1878 में स्थानीय 'कनक' लोगों और फ्राँसीसी उपनिवेशवादियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों पर फ्राँसीसी दमन और अधिक बढ़ गया। 1980 के दशक के दौरान फ्राँसीसी बलों और कनक अलगाववादियों के बीच संघर्ष जारी रहा।
- **'मैटिगनॉन समझौता' (Matignon Accord): वर्ष 1988 के मैटिगनॉन समझौते के तहत स्थानीय कनक आबादी और यूरोपीय समुदाय के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके तहत 'न्यू कैलेडोनिया' पर फ्राँस के प्रत्यक्ष शासन को समाप्त करने और वर्ष 1998 में स्वतंत्रता के लिये जनमत के आयोजन की बात कही गई।**
- **'नौमिया समझौता' (Noumea Accord): वर्ष 1998 के 'नौमिया समझौते' के तहत 'न्यू कैलेडोनिया' में एक चरणबद्ध तरीके से स्थानीय स्वशासन की स्थापना और सत्ता के हस्तांतरण हेतु रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही स्वतंत्रता के लिये वर्ष 1998 में प्रस्तावित जनमत संग्रह को विलंबित कर दिया गया।**

आगे की राह: 'नौमिया समझौते' (Noumea Accord) के तहत 'न्यू कैलेडोनिया' को तीन बार जनमत संग्रह कराने की अनुमति प्राप्त है। ऐसे में यदि स्थानीय विधानसभा के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा एक और जनमत संग्रह की मांग की जाती है तो वर्ष 2022 तक तीसरे जनमत संग्रह का आयोजन किया जा सकता है।

स्रोत: द हिंदू